

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

(शुद्धिपत्र)

सं०सं०-18(प्र०को०)/विविध-01-06/2017-2/2(य०क०)/स्वा०, पटना, दिनांक- 7.8.18

डा० नवल किशोर, ए०से०नि० चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खगड़िया का दिनांक- 09.07.2002 से 28.02.2005 तक एवं दिनांक- 13.06.2005 से 17.03.2010 (ए०से०नि०) तक की अवधि अविनियमित रहने के कारण 24 वर्षों की अर्हक सेवा पूरी नहीं होती है। फलतः उन्हें द्वितीय ए०सी०पी० का लाभ अनुमान्य नहीं होता है।

अतः अधिसूचना संख्या- 191(प्र०को०) दिनांक- 21.11.2017 के क्रमांक- 103 की कंडिका-7 में स्वीकृत द्वितीय ए०सी०पी० के लाभ को विलोपित किया जाता है।

2. शेष यथावत रहेंगे।

3. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अनिल कुमार)

ज्ञापांक-18(प्र०को०)/विविध-01-06/2017-2/2(य०क०)/स्वा०, पटना, दिनांक- 7.8.18


प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को उनके पत्रांक- जी०ई-10-मेडो-K-XVI-5-97 दिनांक- 18.04.2018 के प्रसंग में तथा वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/ सिविल सर्जन, खगड़िया/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी- 2, 3, 9 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- डा० नवल किशोर, ए०से०नि० चिकित्सा पदाधिकारी पता- मोहल्ला- राजीवनगर, पोस्ट- गोशाला रोड, जिला- सिवान, पिन- 841227. को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिपिपि- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
7.8.18  
सरकार के संयुक्त सचिव।  
स्वा०